# राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

## पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2012/000128
अपील संख्या 108/12 (223 आर.टी.एक्ट.)

उनवान

1. हाकिमसिंह पुत्र श्री बक्सी जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर। .....अपीलांटान

**बनाम**

1. मुंशी पुत्र बक्सी जाति जाट निवासी वहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर ..... .....असल रेस्पोडेन्ट
2. मोहनसिंह
3. रामबाबू
4. हीरा
5. मुकेश

   पिसरान भंवरी
6. कमल
7. रामखिलाड़ी
8. तेजसिंह

   पिसरान रजुआ
9. बच्चू
10. विजेन्द्र
11. मानसिंह
12. दरव

    पिसरान भगवत

    जाति जाट निवासी वहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
14. भारतीय स्टेट बैंक नदबई जरिये शाखा प्रबंधक
15. एस बी बी जे बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2012 एवं डिक्री दिनांक 25.07.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रकरण संख्या 111/09 उनवानी दावा मुशी बनाम हाकिम आदि।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री सोनी राम शर्मा एड.
वकील रेस्पोडेन्ट श्री महाराज सिंह एड.

दिनांक 25.09.2018

### निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से आराजी खसरा नं. 879/0.01 वाके ग्राम बहरामदा तहसील नदबई को अकेले रेस्पोडेन्टस के हिस्से में दे दिया हैं।

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

हाकमसिंह

जबकि इस पर दोनो का कब्जा हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संशोधित कर उक्त खसरा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते में अंकित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विभाजन के वाद में जारी की गयी है जिसकी कोई भी तामील अपीलार्थी को असालतन नहीं करायी गयी एवं फर्जी तरीके से चस्पानीगी से तामील करा कर एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गयी अपीलाधीन वाद में ऑर्डर 6 रूल्स 17 एवं संशोधित वाद पत्र भी बिना तामील कराये स्वीकार कर लिये गये । इसी प्रकार विभाजन हेतु भी अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गयी ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। वकील अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 116 आर आर डी 1993 एवं 534 आर आर डी 1990 पेश की।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है एवं विलम्ब का कोई समुचित कारण पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन हेतु युक्तियुक्त तरीके से काम किया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कायम रखे जाने योग्य है। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 164, 36 आरआरडी 2001 एवं 500 आरआरडी 1989 पेश किये।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी कार्यवाही जल्दबाजी में की है एव ना तो संशोधित प्रार्थना पत्र एव ना ही विभाजन के समय अपीलार्थी को सूचित किया है। बल्कि प्राथमिक स्तर पर पारित एक तरफा कार्यवाही जो तथाकथित रूप से करवायी गयी है, के आधार पर निर्णय पारित किया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कायम रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.12 आंशिक रूप से अपास्त किये जाते हैं एवं खसरा नं. 879/0.01 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 01 के शामिल रकबे में रखा जाता हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2012/000128
अपील संख्या 108/12 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. हाकिमसिंह पुत्र श्री बक्सी जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलांटान

**बनाम**

1. मुंशी पुत्र बक्सी जाति, जाट निवासी वहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर
..... .....असल रेस्पोडेन्ट

2. मोहनसिंह
3. रामबाबू — पिसरान भंवरी
4. हीरा
5. मुकेश
6. कमल
7. रामखिलाड़ी — पिसरान रजुआ — जाति जाट निवासी वहरामदा तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. तेजसिंह
9. बच्चू
10. विजेन्द्र — पिसरान भगवत
11. मानसिंह
12. दरव
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
14. भारतीय स्टेट बैंक नदबई जरिये शाखा प्रबंधक
15. एस बी बी जे बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2012 एवं डिकी दिनांक 25.07.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई प्रकरण संख्या 111/09 उनवानी दावा मुशी बनाम हाकिम आदि।

यह अपील .....25.....माह.....09.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री सोनीराम शर्मा एड0.... मिनजानिब अपीलाण्ट व श्री महाराज सिंह एड0.....रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि **अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.07.12 आंशिक रूप से अपास्त किये जाते हैं एवं खसरा नं. 879/0.01 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 01 के शामिल रकबे में रखा जाता हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....25.....माह.....09.....सन्.....2018.....
को जारी की गई।

उ0 ए0 मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | 10 | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।